राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1799/2015/श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या – 1800/2015/श्रीगंगानगर.
3. अपील संख्या – 1801/2015/श्रीगंगानगर.

मैसर्स खण्डेलिया उद्योग प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 1240/2016/श्रीगंगानगर.
5. अपील संख्या – 1241/2016/श्रीगंगानगर.
6. अपील संख्या – 1242/2016/श्रीगंगानगर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खण्डेलिया उद्योग प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/08/2018

निर्णय

1. अपील संख्या 1799/2015 से 1801/2015 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1240/2016 से 1242/2016 अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 127 से 129/सीएसटी/श्रीगंगानगर/2015–16 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 16.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, (प्रतिकरापवंचन), वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 4, 18, 25, 55, 61 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त

लगातार.....2

करते हुए शेष मांग की पुष्टि की गयी है। अतः वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा एवं अन्य बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी एक तेल विनिर्माता कम्पनी है, जिसकी एक तेल निर्माण इकाई एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर में स्थापित की हुई थी, जिसका पंजीयन दिनांक 01.10.2006 से प्राप्त किया हुआ था। व्यवहारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में एक अन्य ऑयल युनिट अलवर में शाखा के रूप में स्थापित की गई। अलवर में स्थापित युनिट को The Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 (जिसे आगे **'MSMED Act'** कहा जायेगा) के तहत उद्योग विभाग द्वारा Small Enterprises के रूप में पंजीकृत किया गया था। व्यवहारी द्वारा अलवर स्थित युनिट को लघु उद्योग की श्रेणी में उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत होने के कारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.2.2018 के तहत अन्तर्राज्यीय विक्रय संव्यवहार पर अलवर में निर्मित उत्पादों की बिक्री पर 0.25 प्रतिशत से कर वसूल किया गया एवं दिनांक 14.7.2014 से बढ़ी हुई दर 1 प्रतिशत से कर अदा किया गया।

5. प्रकरण में विवाद इस बिन्दु पर उत्पन्न हुआ कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में व्यवहारी की जांच कर यह अवधारणा ली गई कि व्यवहारी की पंजीकृत फर्म जो कि श्रीगंगानगर में वर्ष 2006 से तेल का उत्पादन कर रही है एवं वर्ष 2012—13 में जो अलवर में अन्य युनिट स्थापित की गई है, उन दोनों ही युनिटों का कुल विनिवेश (Investment) सम्मिलित करने पर वह 5 करोड़ से अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में MSMED Act की लघु उद्योग इकाई की सीमा रूपये 5 करोड़ से अधिक हो जाने से वह लघु उद्योग का दर्जा समाप्त हो गया है, अतः व्यवहारी फर्म की दोनों ही फैक्ट्री को एकीकृत (Club) करते हुए इसे Small Enterprises की श्रेणी में पात्र नहीं मानकर राज्य सरकार की दिनांक 14.2.2008 की केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना के

लगातार.....3

लाभ को निरस्त कर सामान्य कर दर 2 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया एवं अधिसूचना के लाभ लेने को करापवंचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया था, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यह माना गया कि व्यवहारी फर्म की श्रीगंगानगर एवं अलवर की इकाईयों का विनिवेश Club किया जाना विधिसम्मत है एवं ऐसी स्थिति में व्यवहारी के लघु उद्योग के रूप में प्राप्त Status (प्रास्थिति) को समाप्त किया जाना उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के अन्तर कर आरोपण को मय ब्याज यथावत रखा गया, परन्तु यह माना गया कि व्यवहारी द्वारा अपने संव्यवहारों को लेखा—पुस्तकों एवं विवरण—पत्रों में दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम अनिल परनामी एण्ड कम्पनी के निर्णय दिनांक 2.9.2014** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के निर्णय दिनांक 21.4.2009** के आलोक में अपास्त किया गया था।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उक्त अपीलार्थी व्यवहारी जो कि एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में अपना व्यवसाय कर रही है, उनके द्वारा रिको इण्डस्ट्रियल एरिया श्रीगंगानगर में 31.3.2009 को एक एडिबल ऑयल निर्माण की इकाई स्थापित की गयी थी एवं दिनांक 22.11.2012 को एक अन्य इकाई की स्थापना अलवर में की गयी थी एवं यह बताया गया था कि श्रीगंगानगर की युनिट को MSMED Act में Small Scale Industry के रूप में उद्योग विभाग द्वारा दर्जा प्रदान किया गया था, जिसका प्रमाण—पत्र दिनांक 8.2.2009 को जारी किया हुआ है, जिसमें Capital Investment 2.73 करोड़ था, जिसका प्रमाण—पत्र भी पेश किया गया। यह कथन किया गया कि राज्य सरकार की सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के एन्टरप्राईजेज को प्रोत्साहन देने के लिये अधिसूचना दिनांक 14.2.2008 से अन्तर्राज्यीय व्यवहार में सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के एन्टरप्राईजेज को दो प्रतिशत के स्थान पर 0.25 प्रतिशत का कर उद्ग्रहण करने का लाभ दिया गया था जो दिनांक 14.7.2014 को एक प्रतिशत किया गया था। इसी क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 0.25 प्रतिशत से कर वसूल किया गया जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2011—12 तक कर निर्धारण आदेश अनवरत रूप से पारित किये जाते रहे, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 0.25 प्रतिशत से कर दर का लाभ प्रदान किया गया। यह कथन किया

लगातार.....4

गया कि इस अपीलार्थी फर्म के चैयरमेन द्वारा MSMED Act में विभिन्न युनिट को एकीकृत (Clubbing) करने सम्बन्धी स्पष्टीकरण मांगे जाने पर दिनांक 8.8. 2011 को MSMED Act के उप—निदेशक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस एक्ट के तहत विभिन्न एन्टरप्राईजेज के निवेश को एकीकृत करने का प्रावधान नहीं है क्योंकि दिनांक 27.2.2009 को एकीकृत किये जाने के प्रावधान को हटा (withdraw) दिया गया है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2014 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि MSMED Act में एक व्यक्ति या कम्पनी द्वारा विभिन्न एन्टरप्राईजेज में किये गये निवेश को clubbing नहीं किया जा सकता, जो निम्न प्रकार है :—

8.8.2011 - (Deputy Director) - The MSMED Act, 2006 does not provide for clubbing of investments of different Enterprises set up by the same person or company for the purpose of classification as Micro, Smal and Medium Enterprise.

31.01.2014 (Commissioner) - The notification No. S.O.857 (E) dated 10.12.1997 (issued under the provision of Industries (Regulation and Development ACt, 1951) which provided for clubbing of investment of various small scalc or ancilliary Industrial (SSI) undertaking has been rescinded (withdrawn) vide notification No. S.O.563 (E) dated 27.2.2009. It is further submitted that similar clarification has been given by the office of the Commissioner, Industries Department, Jaipur vide letter No. 31.1.2014 that -

"MSMED Act, 2006 does not provide for clubbing of investment of different Enterprises set up by the same person / company for the purpose of classification as Micro, Small and Medium Enterprises.

7. इस विधिक स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वर्ष 2012 में अलवर में एक युनिट की स्थापना की गई, जिसमें 4.61 करोड़ का निवेश होने सम्बन्धी प्रार्थना—पत्र जिला उद्योग केन्द्र, अलवर को दिया गया था, के अनुसार वर्ष 2012—13 में 3.32 करोड़ का निवेश किया गया एवं अवशेष राशि वर्ष 2013—14 में निवेश की गयी। इस तरह अपीलार्थी कम्पनी की श्रीगंगानगर युनिट में 5 करोड़ से कम Investment होना विवादित नहीं था एवं अलवर युनिट में केवल निवेश रूपये 4.61 करोड़ होना बताया गया था। प्रकरण की कर दर सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 एवं 21.02.2008 निम्न प्रकार हैं :—

Notification No. F.12(99)FD/Tax/07-66 Dated 14.02.2008

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest

लगातार.....5

so to do, hereby directs that tax payable under the said act by a registered dealer during the period he enjoys status of Micro and small enterprise (but not being a medium enterprise) as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the state, in the course of interstate trade of commerce shall be calculated at the rate of 0.25%."

Notification No. F.12(99)FD/Tax/07-71 Dated 21-02-2008

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act no 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the department's notification No. F.12(99)FD/Tax/07-66 dated 14.02.2008 namely :-

AMENDMENT

in the said notification, the existing expression "registered dealer" shall be substituted by the expression "registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or of after 14.02.2008 for setting up of enterprise"

8. उक्त अधिसूचना अनुसार वे इकाईयां जो MSMED Act के तहत Micro, & Small श्रेणी के उद्योग का Status उपभोग कर रही थी, उनके द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 0.25 प्रतिशत की करदेयता निर्धारित थी। किसी उद्योग को Micro, Small or Medium Enterprise का दर्जा दिये जाने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है एवं MSMED Act के अनुसार उसका Status निर्धारित होता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के Small Scale Industries के मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.9.2006 को विनिवेश की सीमा तय करते हुए एन्टरप्राईजेज को Micro, Small and Medium दर्जे में रखा गया है, जो निम्न प्रकार है :—

Ministry of Small Scale Industries Notification New Delhi 29th September, 2006 :-

S.O. 1642(E) :- The Central Government, in exercise of the power conferred by sub-section 7 of the micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendation of the advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, In this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, cooperative society, partnership of undertaking or any other legal entity, by whatever name called :

लगातार.....6

(i) in the case of enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as-

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees.

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees.

9. उक्त आदेशानुसार रूपये 25 लाख से 5 करोड़ तक के प्लांट एण्ड मशीनरी में विनिवेश करने वाले एन्टरप्राईजेज को Small enterprises का दर्जा दिया गया है। चूंकि उक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अलवर में 5 करोड़ से कम रूपये 4.61 करोड़ का विनिवेश बताया गया था, के आधार पर उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के अनुसार रियायती कर दर का लाभ प्राप्त किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अपीलार्थी के लघु उद्योग (Small Enterprises) का दर्जा इस आधार पर अमान्य किया गया कि चूंकि कम्पनी की दो युनिट क्रमशः श्रीगंगानगर एवं अलवर में हैं, अतः इनके विनिवेश को Clubbing करने पर यह विनिवेश 5 करोड़ से अधिक हो जाता है, अतः इन्हें अधिसूचना दिनांक 14.2.2008 का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह वर्ष 2012—13 से लाभ को अपास्त किया गया है।

10. प्रकरण में एक विवाद यह भी था कि अलवर स्थित इकाई का वर्ष 2012—13 तक कुल विनिवेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5.29 करोड़ माना गया है, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा MSMED Act के मामले में प्लांट एण्ड मशीनरी के विनिवेश सम्बन्धी नियमों के अनुसार ट्रांसफॉर्मर की राशि रूपये 35.40 लाख को शामिल करना गलत मानते हुए वह राशि कम करना स्वीकार किया है, इस तरह कुल 5.29 करोड़ में से यह राशि कम करने पर भी अलवर का कुल विनिवेश 5 करोड़ से कम हो जाता है एवं दूसरी ओर अपीलार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो विनिवेश की राशि ली है उसमें ट्रांसफॉर्मर के अलावा इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, स्टोरेज टैंक एवं फायर फाईटिंग इक्विपमेंट की राशि को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि प्लांट एण्ड मशीनरी में इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह कथन किया कि जो पैनल विभिन्न व्यक्तियों से खरीद किया गया था वे मशीनों पर फिट किये हुए नहीं थे, जिन्हें इसमें

लगातार.....7

सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस तरह अपीलीय अधिकारी की सीमा तक यह निर्णीत हो चुका है कि अलवर युनिट का कुल निवेश 5 करोड़ से कम राशि का था, क्योंकि रूपये 5.29 करोड़ में से रूपये 35.40 लाख की राशि को गलत रूप से जोड़ा गया था।

11. उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति में प्रकरण में विवाद का बिन्दु मात्र यह था कि क्या दिनांक 14.02.2008 की अधिसूचना में लघु उद्योग के रूप में किसी एक व्यक्ति के द्वारा अलग—अलग स्थानों पर स्थापित एन्टरप्राईजेज के निवेश को Club कर उनकी लघु उद्योग की पात्रता को समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें पृष्ठ—4 पर स्वयं यह अंकित है कि उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 08.08.2011 एवं आयुक्त उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2014 में यह स्पष्ट किया गया है कि MSMED Act में एक व्यक्ति द्वारा अलग—अलग एन्टरप्राईजेज की स्थापना में किये गये विनिवेश को उस उद्योग के श्रेणीकरण के लिये एकीकृत नहीं किया जा सकता। इस तरह MSMED Act के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वयं उद्योग विभाग द्वारा एक व्यक्ति की दो युनिट के निवेश को शामिल करने का प्रावधान नहीं होना स्पष्ट किया जा चुका है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2008 की जो अधिसूचना जारी की गयी है उसमें यह निष्कर्षित है कि वे उद्योग जिन्हें Micro and Small Enterprises का Status प्राप्त है एवं जिस अवधि तक वे Status जारी रहता है, तब तक उन्हें अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में 0.25 प्रतिशत से कर दर से माल विक्रय करने की पात्रता प्राप्त है। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी द्वारा यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि किसी उद्योग को MSMED Act के तहत कौनसी श्रेणी में आच्छादित किया जा सकता है क्योंकि यह Status केवल उद्योग विभाग द्वारा दिया जाता है एवं उद्योग विभाग द्वारा ही इसका निर्धारण किया जाता है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उद्योग विभाग के प्रमाण—पत्रों के प्रस्तुत होने के बाद भी स्वयं द्वारा ही विभिन्न Enterprises की Clubbing कर उसे एक व्यक्ति के दो इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ से अधिक होना मानकर राज्य सरकार द्वारा दिये गये लाभ को निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.10.2015 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भी ऐसे मामलों के विवाद को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2017 को अधिसूचना संख्या एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2017—95 जारी कर उक्त अधिसूचना दिनांक

लगातार.....8

14.02.2008 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण कि किसी युनिट के Micro and Small Enterprises के Status को निर्धारित करते समय एक व्यक्ति द्वारा अलग—अलग Enterprises में किये गये विनिवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है :—

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12(99)FD/Tax/07-66 dated 14.02.2008, as amended from time to time, namely :-

AMENDMENT

At the end of the said notification the following Explanation shall be added, namely :-

"Explanation : For ascertaining the status of Micro and Small Enterprise, under this notification, the investment made in Plant and Machinery in different enterprises set up under the same ownership shall not be clubbed."

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-95]

12. उक्त प्रकरण में चूंकि विवाद मात्र इस बिन्दु पर था कि अपीलार्थी व्यवहारी की दो अलग—अलग स्थानों पर स्थित एन्टरप्राईजेज के निवेश को सम्मिलित किया जावे अथवा नहीं एवं इस बिन्दु पर स्वयं राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा भी पूर्व में ही विनिवेश की Clubbing को नहीं करने का स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया था एवं उक्त अपीलीय आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा भी इस अधिसूचना में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि किसी व्यक्ति के अलग—अलग एन्टरप्राईजेज के विनिवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि किसी अधिसूचना में संशय को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है तो वह स्पष्टीकरण अधिसूचना के प्रवृत होने के दिवस से लागू हो जाता है। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 08.03.2017 के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों एन्टरप्राईजेज का विनिवेश अलग—अलग माने जाने एवं दोनों ही एन्टरप्राईजेज में प्रत्येक में 5

लगातार.....9

करोड़ के ऊपर विनिवेश नहीं होने से मूल विवाद समाप्त हो चुका है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के लाभ को निरस्त किये जाने सम्बन्धी सभी कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा अधिसूचना के अनुसार लाभ दिये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

13. राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के निर्णय में शास्ति अपास्त करने के आदेश के विरूद्ध जो अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, वे सारहीन हो गयी हैं क्योंकि अन्तर कर को ही उक्तानुसार अपास्त कर दिया गया है तब करापवंचन का बिन्दु ही समाप्त हो जाता है। राजस्व की अपीलें इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार की जाती हैं कि अन्तर कर एवं लाभ की पात्रता सम्बन्धी विवादों में कर का आरोपण किया जाना करापवंचन का कृत्य नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय विधिपूर्ण किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार अपनी लेखा—पुस्तकों में लेखांकित किये हुए थे एवं विवरण—पत्रों में भी इसकी घोषणा की हुई थी, अतः शास्ति आरोपणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर दिये गये आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

09/08/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य